बीकानेर रियासत और कृषक आन्दोलन

*महेन्द्र कुमार वर्मा

शोध सारांश

बीकानेर राज्य राजपूताना में 1465 से लेकर 1947 तक एक रियासत के रूप में अस्तित्व था। 19वीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेजो से हुई संधियों के फलस्वरूप रियासत के राजा और सामंतो से हुई संधियों के फलस्वरूप रियासत के राजा और सामंतो के संबंध बदल गये तथा रियासत में शोषण की एक नई प्रवृत्ति उभरी, जो किसानों के शोषण से संबंधित थी। बीकानेर में किसानों पर 37 प्रकार की लाग बागें थी जो एक प्रकार से किसानों पर वित्तीय बोझ बढ़ा रही थी इसके अलावा बेगार, सूद प्रथा, पशु कर, मनमाना राजस्व आदि कारकों ने किसानों को आन्दोलन करने के लिये मजबूर किया। गंगनहर क्षेत्र के आन्दोलन, महाजन ठिकाने का आन्दोलन, दूधवाखारा किसान आन्दोलन, बीकानेर प्रजा परिषद के किसान आन्दोलनों ने रियासत को किसानों की मांगे मानने पर विवश कर दिया था जो अंततः बीकानेर रियासत में किसानों की सांगठनिक एकता और राजस्थान के एकीकरण में भी फलीभूत हुआ।

बीकानेर रियासत का उदय जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र राठौड़ बीका द्वारा स्थापना किये जाने से शुरू होता है। इससे पूर्व यह क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। राठौड़ बीका ने 12 अप्रैल, 1488 को अपने नाम के साथ बीकानेर रियासत की नींव रखी थी। इनके उत्तराधिकारियों ने बीकानेर रियासत में भटनेर, गंगानगर, चूरू जैसे क्षेत्रों को अपनी रियासत में मिलाया तथा एक विस्तृत राज्य की स्थापना की। बीकानेर रियासत सत्ता के विखंडीकरण पर आधारित थी यहां सामन्तों की विभिन्न श्रेणियों में सत्ता का विभाजन था। इन सामंतो में बीकायत, कांधलोत, बीदावत, नाथोत, चौहान, कच्छावा, तंवर सिसोदिया, सोनगरा तथा राठौड़ आदि वर्गों के सामंत थे।

बीकानेर रियासत में भूमि व्यवस्था जागीर और खालसा में बंटी हुई थी। जागीरी भूमि सामंतो के नियंत्रण में थी जबकि खालसा भूमि शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। खालसा भूमि भी आसामी, मुकाती, भोम तथा माफी के रूप में विभाजित थी जबकि जागीरी भूमि सामंतों जिन्हें ठाकुर कहा जाता था के नियंत्रण में होती थी।[1]

बीकानेर रियासत का अधिकांश भाग रेतीला तथा पथरीला मरूस्थल है यहां धोरा तथा रेतीली भूमि के कारण कृषि के लिये आदर्श स्थिति नहीं विद्यमान थी किसानों द्वारा इस क्षेत्र में कम पानी वाली फसलें बोते थे गंगनहर के आने से पूर्व किसानों द्वारा मुख्यतया मोठ, ज्वार, बाजरा, चना, तारामीरा बोया जाता था।[2]

किसानों से रियासत द्वारा जुताई के बदले भू–राजस्व वसूल किया जाता था जिसे हासिल कहा जाता था खालसा भूमि का भू राजस्व सीधे राजा के खजाने में जाता था जबकि जागीरी भूमि का भूराजस्व सामंतों को प्राप्त होता था रियासत में भूराजस्व निर्धारण करने की कई पद्धतियाँ विमान थी जिसमें कूंटा–लाटा, बीघौड़ी, कनकूत, मुकाता आदि पद्धतियाँ किसानों से लगान वसूलने के काम आती थी।[3]

कूंटा प्रथा के माध्यम से अनुमान या गणना के आधार पर खड़ी फसलों से राजस्व का निर्धारण किया जाता था जबकि बंटाई प्रथा खेत बंटाई, लंक बंटाई तथा रास बंटाई के रूप में किसानो से भूराजस्व के रूप में अनाज लेने

पर आधारित थी। मुकाता प्रथा एक प्रकार से बोली व्यवस्था थी जिसमें सामंत द्वारा भूराजस्व को वसूलने हेतु ठेके पर दिया जाता था तथा ठेकेदार द्वारा किसानों से उगाही की जाती थी किसानों का सबसे ज्यादा शोषण इस पद्धति ने किया था क्योंकि ठेकेदार का ध्येय इस पद्धति में किसानों से ज्यादा से ज्यादा भूराजस्व हासिल करना होता था ठेकेदार द्वारा अपने लठैतों के जरिये किसानों पर अत्याचार, जबरन वसूली, भूमि की जब्ती आदि कठोर कदमों को उठाया जाता था।[4]

बीघौड़ी पद्धति में प्रति बीघे के आधार पर किसानों से भूराजस्व वसूल किया जाता था यह पद्धति ज्यादातर नकदी फसलों के लिये थी इसमें भूमि का मापन डोरी या लोहे की जंजीरों और बांस की बेंत के माध्यम से होता है ज्यादातर यह व्यवस्था खालसा क्षेत्रों में ही लागू की गई थी जिसमें कर की दर निश्चित होती थी।

किसानों से भू राजस्व के अलावा सामंतों द्वारा विभिन्न लाग–बाग भी वसूली की जाती थी इन लाग बाग में धुआं भाछ (गृह कर), हलगत, ऊंटों की भाछ, सींगोटी कर, रूखवाली बाछ, मापा लाग, अंग भाछ रीठ लाग, खेड़ खर्च, फौज खर्च आदि शामिल थी।[5]

किसानों पर लाग बाग का दोहरा बोझ था इसके अलावा बेगार प्रथा, भेंट व नजराना आदि के रूप में किसानों पर बोझ बढ़ा रहे थे। इसके अलावा वसूली की प्रक्रिया अत्यंत क्रूर व अमानवीय थी भू राजस्व की वसूली हिंसक माध्यमों से होती थी जिसमें कई बार स्वयं किसान अपने खेतों को जलाकर सामंतों तथा उनके लठैतों का विरोध करते थे।

बीकानेर रियासत में किसानों की सांगठनिक एकता तथा जाग्रति भी कृषक आन्दोलनों के उत्पन्न होने का एक कारण बनी थी यहां आर्य समाज, सर्वहितकारिणी सभा, कबीर पाठशाला, सद्विद्या प्रचारिणी सभा, जमींदार एसोसिएशन, प्रजा मण्डल आन्दोलन आदि के प्रभावों के चलते किसानों को एकजुट होकर आन्दोलन करने की प्रेरणा प्रदान की।[6]

इसके अलावा समाचार पत्रों जिनमें त्याग भूमि, रियासत, हिन्दी मिलाप, ट्रिब्यून, लोकमान्य समाचार पत्रों में सामंती अत्याचारों तथा किसानों पर हो रहे जुल्मों की खबरें प्रमुखता से छापी जा रही थी इन पत्रों का प्रभाव किसानों के आन्दोलनों पर भी दृष्टिगोचर होता है।

गंग नहर आन्दोलन (1929–1945) – गंगनहर का स्वप्न महाराजा गंगासिंह ने देखा था इन्होंने पंजाब में सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने के लिये इस प्रोजेक्ट का बीड़ा उठाया था तथा 1927 तक यह नहर बनकर तैयार हुई थी इसी नहर के तैयार होते समय रियासत ने इन भूमि इलाकों में रहने वाले किसानों से 70 प्रतिशत तक भूमि पर पानी पहुंचाने का वादा किया था। अतः भूमि पर पानी की पहुंच बनाने के लिये 1929 में सिक्ख जमींदारों ने जमींदार एसोसिएशन नाम का संगठन बनाया जिसका मुखिया दरबार सिंह को बनाया गया। इस एसोसिएशन ने 1932 में बीकानेर महाराजा को निम्न मांगों को पूरा करने के लिये प्रतिवेदन दिया।

1. लगान में कमी।
2. आबयाना कर की दर में कमी।
3. किसानों की भूमि के 70 प्रतिशत तक पानी पहुंचाने के वायदे को पूरा करना।
4. रबी फसलों में कम पानी के चलते खराब फसलों पर 50 प्रतिशत तक मुआवजा दिया जाये।

बीकानेर सरकार किसानों की उग्र होती हुई मांगों को देखकर कुछ रियायत दी तथा किसानों को 2 लाख रूपये तक छूट देने की भी घोषणा की गई। इस प्रकार गंगनहर आन्दोलन ने संवैधानिक तरीके से ज्ञापन आदि देते हुये

सरकार को झुकाया तथा बीकानेर रियासत ने भी किसानों की उचित शिकायतों की अनदेखी नहीं की और उन्हें सुलझाने में तत्परता दिखाई।[7]

जागीरी क्षेत्र में किसानों के आन्दोलन (1935–42) : बीकानेर रियासत में 32 प्रतिशत भूमि खालसा थी जबकि 68 प्रतिशत भूमि जागीरी क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। जागीरदार जिन्हें प्रायः ठाकुर कहा जाता था, किसानों से भूमि राजस्व के अलावा विभिन्न लाग–बाग के रूप में किसानों से धन वसूलता था इन लाग–बागों में धुआं कर, रखवाली कर, सिंगोटी, घोड़ा बाछ, चौधरबाव आदि के रूप में मुख्य लागें थी।

इसके अलावा जागीरी क्षेत्रों में किसानों को अनेक प्रकार की बेगार भी करनी पड़ती थी इस प्रकार जागीरी क्षेत्र में भी किसान दयनीय हालत में थे। किन्तु आसपास के क्षेत्रों में बदलते हालात जैसे शेखावाटी में किसान आन्दोलन की तीव्रता, जाट प्रजापति महायज्ञ तथा एकजुटता का प्रभाव बीकानेर रियासत के किसानों पर भी पड़ा। इन्होंने भी जागीदरों के अत्याचारों से परेशान होकर अपनी आवाज बुलन्द की।

बीकानेर रियासत में इन दिनों प्रजामण्डल आन्दोलन तेज गति से बढ़ रहा था मघाराम वैद्य, लक्ष्मीदास स्वामी, भिक्षालाल बोहरा आदि नेता रियासत में आन्दोलनों को बढ़ावा दे रहे थे। सर्वप्रथम जागीरी क्षेत्र में किसान आन्दोलन की भूमिका उदासर गांव के किसानों ने तय की।

यहां के जमादार अगरसिंह ने किसानों और उनकी पुत्र–पुत्रियों के खिलाफ शोषक के अमानुषिक तरीके अपनाये हुये था। यहां के किसान नेता जीवन चौधरी ने किसानों को एकजुट करके जमादार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना तय किया तथा 1938 तक यह आन्दोलन बीकानेर रियासत की कठोर कानूनी कार्यवाही के कारण कमजोर पड़ गया था।

ठिकाना महाजन में किसान आन्दोलन की शुरूआत जागीरदार के बऐ हुये लगान, भूंगा (चराई कर) व लाग बाग के कारण शुरू हुआ था। 1939 में भयंकर अकाल के कारण किसानों के लिये कर चुकाना असंभव हो गया था किन्तु बीकानेर रियासत ने ठिकाने महाजन के राजा और किसानों से समझौता करवाकर उस वर्ष के लिये इन करों की वसूली कुछ समय के लिये स्थगित करवा दी थी। किन्तु अगले वर्ष अच्छी बारीस के चलते पुनः पुरानी करों की दरों से किसानों से लगान वसूला गया जिससे किसान क्रोधित हो गये जिसके एवज में ठिकाने के जागीरदार को कुछ रियायतें किसानों के लिये करनी पड़ी तथा जागीरदार पुनः अपनी लगान की बढ़ी हुई दरें लागू नहीं कर सका था।

महाजन ठिकाने के अलावा अन्य जागीरी क्षेत्रों जैसे कुम्भाना, पूगल, बीदासर, रावतसर आदि के किसानों को प्रभावित किया। यहां के किसानों को भी अकाल के बावजूद जबरन भूराजस्व वसूली, लाग बाग तथा बैठ–बेगार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जिसका किसानों ने डटकर विरोध किया तथा जागीरदारों को राजस्व वसूली में नरम रवैया अपनाने हेतु मजबूर होना पड़ा। इन्हीं आन्दोलनों के चलते बीकानेर रियासत को 1942 में जागीरी क्षेत्र में भूमि बन्दोबस्त करने के आदेश देने पड़े।

दूधवाखारा किसान आन्दोलन (1945–1949) – दूधवाखारा बीकानेर रियासत का क्षेत्र था यहां उत्तराधिकारी दावों में असंगति के कारण यह क्षेत्र कुछ समय तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स में रहा जबकि बाद में इसे ठाकुर सूरजमलसिंह को सौंप दिया गया था यहां ठाकुर सूरजमलसिंह ने किसानों से भूमि की जबरन वसूली तथा अत्याचारों का तंत्र खड़ा कर दिया था महाराजा सार्दुलसिंह से किसानों द्वारा ठाकुर की कई बार शिकायतें की गई लेकिन इसका कुछ परिणाम ना निकला।

दूधवाखारा किसान आन्दोलन का नेतृत्व हनुमानसिंह ने किया। हनुमानसिंह को रियासत द्वारा गिरफ्तार करवाया गया किन्तु जेल में भूख हड़ताल के चलते उन्होंने आन्दोलन का नेतृत्व करना जारी रखा।[9]

बीकानेर के किसानों में बढ़ती हुई जागृति को देखकर बीकानेर महाराजा ने हनुमानसिंह को अपने पक्ष में करने का

असफल प्रयत्न किया किन्तु हनुमानसिंह ने रियासत के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया तथा किसानों के आन्दोलन की ज्योति जलाये रखी।

बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अधीन किसान आन्दोलन (1945–49) – दूधवाखारा किसान आन्दोलन का प्रभाव चूरू के अन्य क्षेत्रों राजगढ़, हमीरवास, सांखू के ग्राम चांदगोठी पर भी पड़ा। यहां किसानों को एकजुट करने का कार्य चौधरी कुम्भाराम आर्य ने किया। चौधरी कुम्भाराम आर्य रियासत के सरकारी विभाग में नौकरी से त्याग पत्र देकर किसानों को एकजुट करने के कार्य में लगे हुये थे। चौधरी कुम्भाराम आर्य ने ललाणा गांव में किसानों की एक विराट सभा आयोजित करके रियासत के खिलाफ किसानों को संगठित किया।[10]

किसानों के इसी आन्दोलन काल में 1 जुलाई 1946 में रायसिंहनगर में गोलीकाण्ड हुआ था जिसमें बीरबल नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी जिससे पूरे बीकानेर में इस घटना के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया तथा बीकानेर रियासत में शहीद बीरबल दिवस मनाया गया।

इस प्रकार प्रजा परिषद के तत्वाधान में हुये किसान आन्दोलनों ने पूरे क्षेत्र में सामंती अत्याचारों के विरूद्ध किसानों को एकजुट किया।[11]

इस प्रकार बीकानेर रियासत में किसान आन्दोलनों की प्रकृति जागीरदारी प्रथा की समाप्ति, अवैध करों का उन्मूलन तथा सांगठनिक भावों युक्त थी। यह किसान आन्दोलनों का ही परिणाम था जिसमें आजादी के तुरन्त बाद में जागीरदारी प्रथा की समाप्ति हेतु कानून लाया गया तथा जोतों के समेकन, हदबंदी आदि भूमि सुधारों को राजस्थान में लागू किया। राजस्थान काश्तकारी विधेयक 1955, राजस्थान भूमि संक्षेप बंदोबस्त विधेयक 1953 आदि की पृष्ठभूमि रियासत में हुये किसानों आन्दोलनों का ही परिणाम थी।[12]

*शोधार्थी
इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर)

संदर्भ सूची

1. आर्य हरफूल सिंह : शेखावाटी के ठिकानों का इतिहास व योगदान, पंचशील प्रकाशन, 1987, पृष्ठ सं. 55–61
2. मिश्र, रतनलाल : शेखावाटी का नवीन इतिहास, कुटीर प्रकाशन, 1998, पृष्ठ सं. 18–21
3. प्रो. दूलसिंह : ए स्टडी ऑफ लेण्ड रिफॉर्म्स इन राजस्थान, पृष्ठ सं. 36
4. डॉ. पेमाराम : उत्तरी राजस्थान में कृषक आन्दोलन, राजस्थानी ग्रंथागार (जोधपुर) 2020, पृष्ठ सं. 142–162
5. आचार्य, दाऊदयाल : भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बीकानेर का योगदान, पृष्ठ सं. 307–308
6. प्रो. पेमाराम, डॉ. विक्रमादित्य : जाटों की गौरवगाथा, राजस्थानी ग्रन्थागार, 2016, पृष्ठ सं. 168–182
7. मिश्र, रतनलाल : किसानों के मसीहा चौधरी कुम्भाराम आर्य (संस्मरण) पृष्ठ सं. 53–65
8. बागौरी, एस.एल. : राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, मलिक एण्ड कंपनी, 2012
9. अग्रवाल, गोविन्द : चूरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास, लोक संस्कृति शोध संस्थान, 1974, पृष्ठ सं. 75–83
10. चौधरी हरिश्चन्द्र : बीकानेर में जन जागृति, प्रथम खण्ड, पृष्ठ सं. 20
11. लेण्ड रिफॉर्म इन राजस्थान, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, पृष्ठ 4
12. ठाकुर, श्यामसिंह : स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशन, 2005